न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 402 सन 2021
अनवान :–

1. बलवीर पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी गंगाई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. ओमप्रकाश पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी गंगाई तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 23/2/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 की कुल 5.7300हैक व खाता संख्या 65/60 की कुल 33.8450हैक में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 18803/338450हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी का नाम बजीर पुत्र रामरतन व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम बजीर पुत्र रामरतन एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का के पिता का नाम रामरतन दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम बलवीर पुत्र रतनाराम एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम बलवीर पुत्र रतनाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम बलवीर पुत्र रतनाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बजीर पुत्र रामरतन एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर बजीर पुत्र रामरतन व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन के स्थान पर बलवीर पुत्र रतनाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 की कुल 5.7300हैक व खाता संख्या 65/60 की कुल 33.8450हैक में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 18803/338450हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी का नाम बजीर पुत्र रामरतन व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन दर्ज है

उक्त भूमि मे वादी का नाम बजीर पुत्र रामरतन एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का के पिता का नाम रामरतन दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम बलवीर पुत्र रतनाराम

उपखण्ड अधिकारी

एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम बलवीर पुत्र रतनाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम बलवीर पुत्र रतनाराम एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बजीर पुत्र रामरतन एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन दर्ज किया गया है जो गलत है वादी /तरतीबी प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 की कुल 5.7300हैक व खाता संख्या 65/60 की कुल 33.8450हैक में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 18803/338450हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी का नाम बजीर पुत्र रामरतन व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय बलवीर पुत्र रतनाराम व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम के स्थान पर बजीर पुत्र रामरतन दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम बलवीर पुत्र रतनाराम व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम दर्ज है।

सरपंच ग्राम पंचायत पाण्डूसर के अनुसार वादी का सही नाम बलवीर है एवं वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रतनाराम है सहवन से रामरतन दर्ज हुआ है बजीर एवं बलवीर तथा रामरतन एवं रतनाराम एक ही व्यक्ति के नाम है सही नाम बलवीर एवं रतनाराम है जिनका व्यक्तिगत रूप से जानती है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/सरपच ग्राम पंचायत पाण्डूसर के प्रमाण पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत पाण्डुसर के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 की कुल 5.7300हैक में वादी का नाम बजीर पुत्र रामरजन दर्ज है के स्थान पर बलीवर पुत्र रतनाराम संशोधन किया जाता है इसीप्रकार रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 की कुल 5.7300हैक व खाता संख्या 65/60 की कुल 33.8450हैक में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 18803/338450हिस्सा दर्ज है दोनो खातो में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन दर्ज है के स्थान पर रतनाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बलवीर पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी गंगाई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. ओमप्रकाश पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी गंगाई तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 402 सन 2021 निर्णय दिनांक– 23/7/24

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 की कुल 5.7300हैक में वादी का नाम बजीर पुत्र रामरजन दर्ज है के स्थान पर बलीवर पुत्र रतनाराम संशोधन किया जाता है इसीप्रकार रोही मौजा गंगाई के खाता संख्या 42/38 की कुल 5.7300हैक व खाता संख्या 65/60 की कुल 33.8450हैक में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम 18803/338450हिस्सा दर्ज है दोनो खातो में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम रामरतन दर्ज है के स्थान पर रतनाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर